राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2127/2010/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, बीकानेर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स धामाणी सेल्स कॉरपोरेशन,
ए–4/9, ऑटोमोबाईल नगर, जयपुर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस.के.जैन,
अधिकृत प्रतिनिधि। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :23.01.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बीकानेर (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स–तृतीय), वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2010 के विरूद्ध पेश की गयी है तथा जो **अपील संख्या 44/आरवीएसटी/अपील–II/जयपुर/2008–09** के संबंध में है एवम् जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति रू.1,97,200/– को अपास्त करने को विवादित किया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी दिनांक 02.10.2008 को बीकानेर में बाईपास पर वाहन संख्या आर.जे. –14–2जी–9075 को जांच हेतु रोका गया । वाहन में परिवहनित माल के संबंध में पूछताछ करने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने वाहन में **अखबार** लदा होना प्रकट कर, वाहन के सामने वाले **शीशे पर स्टीकर लगा होने** का ईशारा किया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन के तिरपाल को हटाकर जांच करने पर यह वाहन में **नटखट सुपर ब्राण्ड गुटखा** लदा होना पाया गया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने मौके पर मौजूद श्री छोटू लाल मीणा पुत्र श्री रामलाल मीणा से पूछने पर प्रकट किया कि वह वाहन का चालक है और

लगातार.....2

इस समय माल प्रभारी भी है। जिसके पश्चात् माल के दस्तावेज मांगने पर उसने एक सील–बंद और स्टेपल पिन से बंद लिफाफा जांच हेतु अपीलार्थी सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे खोलने पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जारी **वैट इनवॉयस सं. 725 दिनांक 30.09.2008 को दो प्रतियों में पाया गया और इसी फर्म के लेटर हैड पर बीकानेर की फर्म मैसर्स जनप्रिया पान भण्डार के नाम लिखी चिटठी पाई गयी।** अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने उक्त समस्त तथ्यात्मक स्थिति एवम् वाहन चालक द्वारा पूर्व में वाहन में अखबार लदे एवम् परिवहनित किये जाने तत्पश्चात् वैट इन्वॉयस प्रस्तुत करने के कारण उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर करापवंचन का संदेह होने के कारण अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने माल प्रभारी व्यक्ति से अग्रिम पूछताछ करने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वाहन में लदे माल के संबंध में यह जाहिर किया कि वह इसी वाहन से उपरोक्त फर्म से लाया गया **60 बैग गुटखा कल दिनांक 01.10.2008 को मेड़तासिटी में मैसर्स जगदीशप्रसाद रामेश्वरलाल जाजू को डिलीवरी करके आया है और चैक किये जाने पर इसी प्रकार सील–बंद लिफाफे में स्टेपल किये हुए उस माल से संबंधित दस्तावेज उसके पास यथावत मौजूद पाये गये।** उक्त वर्णित तथ्यात्मक स्थिति व वाहन चालक द्वारा दिये गये बयानों के आधार पर अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने यह अवधारित किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा इसी प्रकार सील्ड लिफाफे में मार्गस्थ माल के दस्तावेज सौंपे जाते हैं और बिना जांच हुए व बिना सिल्ड लिफाफा खुले माल की डिलीवरी हो जाने के बाद उन्हें अपनी नियमित बहियात में नहीं दर्ज किया जाता और कर का अपवंचन किया जाता है। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने यह भी अवधारित किया कि परिवहनित माल राजस्थान प्रवेश कर अधिनियम–1999 के अधीन प्रवेश करयोग्य माल है जब तक कि उस पर नियमानुसार वैट का प्रदाय नहीं किया जाता। राजस्थान प्रवेश कर अधिनियम के नियम–14(5) के अन्तर्गत प्रवेश करयोग्य माल के परिवहन में डिलीवरी–नोट प्रारूप ETLA-12 विहित किया गया है। परन्तु वाहन चालक द्वारा नियमों के तहत् निर्धारित डिलीवरी नोट प्रस्तुत नहीं किया गया और इसी प्रकार मार्गस्थ माल का कोई लोरी चालान, मैनिफेस्टो ओर बिल्टी आदि पेश नहीं किये गये। अतः प्रस्तुत दस्तावेजों को विधिमान्य नहीं मानते हुए और मिथ्या व कूटरचित दस्तावेज मानते हुए अधिनियम की धारा–76(2)(बी) व सपठित धारा–31(2) राजस्थान प्रवेश कर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन पाये जाने के कारण परिवहनित माल व वाहन को निरूद्ध किया जाकर नोटिस

लगातार.....3

धारा—76(6) के अन्तर्गत पेशी दिनांक 09.10.2008 का जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपित कर, शास्ति आदेश दिरनांक 10.10.2008 पारित किया गया । उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने में विधिक भूल की है क्योंकि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुये, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् जो शास्ति आरोपित की है वह पूर्णतः उचित एवम् विधिसम्मत है जिसे विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने में विधिक त्रुटि की है। यह भी कथन किया कि अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि वक्त जांच बिल, बिल्टी व घोषणा प्ररूप वैट—47/49 प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। अतः ऐसी स्थिति में, माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत गुलजग इण्डस्ट्रीज़ **18 टैक्स अपडेट 321** में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है लिहाजा, इसे अपास्त कर, अपीलार्थी का आदेश पुनर्स्थापित (**Restore**) करने की प्रार्थना की गयी ।

5- प्रत्यर्थी के अधिकृत प्रतिनिधि ने अभिवाक् किया है कि विद्वान् उप—राजकीय अभिभाषक के तर्क विधिसम्मत एवम् उचित नहीं हैं । इस संबंध में कथन किया कि अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानानुसार माल संबंधी समस्त विहित दस्तावेज माल के परिवहन के दौरान मौजूद थे, उनमें से किसी भी दस्तावेजों को विद्वान सशक्त अधिकारी द्वारा मिथ्या अथवा कूटरचित होना प्रमाणित नहीं किया हे । अतः इस आधार पर प्रकरण में शास्ति आरोपण योग्य नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उपर्युक्त वर्णित आधारों पर आरोपित शास्ति पूर्णतः अनुचित एवम् अविधिक है ।

अग्रिम कथन किया कि विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने

लगातार.....4

के पूर्व माल से संबंधित इन्वॉसय प्रस्तुत किये गये थे, मेड़तासिटी की पार्टी को बिल नहीं देने की गलती वाहन चालक की बताते हुए कथन किया है कि मात्र अवधारणा या संदेह के आधार पर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। जब तक की बिक्री बिल का बहियात से सत्यापन नहीं कर लिया जाता। कथन किया कि बिल/इन्वॉयस के खुले रखनें या लिफाफे में पेस्ट करने जैसी कोई विधिक आवश्यकता नहीं है। विशिष्ट रूप माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **(2007) 19 टैक्स अपडेट पेज 253** को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि यदि करयोग्य माल के संव्यवहार लेखा–पुस्तकों में दर्ज हों तो करदाता के नियमानुसार बाद में भी कर जमा कराने की स्वतंत्रता है । इसी क्रम में कथन किया कि देय वैट के भुगतान के बाद प्रवेश कर के लिये दायी नहीं होने के कारण ETLA-12 के प्ररूप में डिलीवरी नोट की आवश्यकता नहीं होना प्रकट किया गया। विशिष्ट रूप से कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा परिवहनीत माल के संबंध में अपनी लेखा पुस्तकें, क्रय व विक्रय पंजीका व माल खाते की फोटो प्रति पेश की गयी थीं जिसमें उक्त इन्वॉयस क्रमांक नंबर 725 दिनांक 30.09.2008 का इन्द्राज है एवं उसमें 12.5 प्रतिशत की दर से वैट वसूल किया गया है जिसका अवलोकन अपीलीय अधिकारी द्वारा कर, उचित रूप से आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है । अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन कर विधि के प्रावधानों का अध्ययन किया गया । इस संबंध में अधिनियम की धारा 76(6) का मूल पठन इस प्रकार हैः–

76. Establishment of check–post or barrier and inspection of goods while in movement. –

(1).....

(2).....

(3).....

(4).....

(5).....

(6) The Incharge of the check–post or barrier or ***"the officer authorized"*** under sub–section (4), after having given the owner of the goods or person duly authorized in writing by such owner or person Incharge of the goods a reasonable opportunity of being heard and after

लगातार.....5

having held such enquiry as he may deem fit, shall impose on him for possession or movement of goods, whether seized or not, in violation of the provisions of ***"clause (b) of sub–section (2)"*** or for submission of false or forged documents or declaration, a penalty equal to thirty percent of the value of such goods.

उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 76 के प्रावधानानुसार धारा 76(2)(बी) के अनुसार विहित दस्तावेज नहीं होने अथवा प्रस्तुत दस्तावेजों के "मिथ्या" और "कूटरचित" होने की दशा में ही शास्ति आरोपित की जा सकती है। प्रकरण में अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में इन परिस्थितियों का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। वक्त जांच परिवहनित माल के संबंध में विधिक इन्वॉयस प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार प्रेषक व प्रेषिति पंजीकृत थे, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा बिना किसी अग्रिम जांच के प्रस्तुत दस्तावेज को मिथ्या व कूटरचित होना अवधारित कर, शास्ति आरोपित की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से अपास्त किया गया है। अतः पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

23.1.2015

(मदन लाल)
सदस्य